कार्य आदेश

नाम न्यायालय – SDO फागी   बनाम देवकरण वगै.

केस संख्या – 22/2023

क्र.सं.	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश मय हस्ताक्षर	विशेष विवरण
	24/7/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 18/8/25 को पेश हो।	
	18/8/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण को मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः परिणामस्वरूप प्रा० पत्र T.I. अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधि० को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त अराजी खाता सं. 94 के ख० नं. 110/1, 113/1, 163/4, 257/5, 264/2, 274/4, 280/4, 50/2, 60/10, 66/2, 68/1, 70/4, 71/4, 72/4, 74/2, 77/2, 89/2 कुल रकबा 3.5279 हैक्टेयर वाके ग्राम मदनपुरा तह० फागी जिला जयपुर की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी	